



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

एच-169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा-II,

ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: अर्बन सर्विस/2015/2235

दिनांक 24/03/2015

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 95वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.05.2013 के कार्यवृत्त के मद संख्या 95/10 के निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ग्रेटर नौएडा नगरीय क्षेत्र में निर्मित आवासीय, संस्थागत, औद्योगिक, व्यवसायिक एवं सामूहिक आवासीय योजनाओं/बिल्डर्स भूखण्डों के आवंटियों को जल सूविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत पूर्व निर्धारित अग्रिम जल मूल्य की दरों में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुये निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं, जो दिनांक 01.04.2015 से लागू मानी जाएगी :-

(क) आवासीय भवनों हेतु न्यूनतम अग्रिम जल मूल्य दरें :-

क्र०सं०	भूखण्ड क्षेत्रफल	प्रतिमाह देय (रु० में)
1	शून्य से 60 वर्ग मीटर तक	73.00
2	61 से 120 वर्ग मीटर तक	121.00
3	121 से 200 वर्ग मीटर तक	218.00
4	201 से 350 वर्ग मीटर तक	363.00
5	351 से 500 वर्ग मीटर तक	484.00
6	501 से 1000 वर्ग मीटर तक	726.00
7	1000 वर्ग मीटर तक से अधिक	रु० 12.00 प्रति किलोलीटर।

(ख) संस्थागत, औद्योगिक एवं व्यवसायिक भूखण्डों द्वारा देय न्यूनतम अग्रिम देय जल मूल्य दरें :-

क्र०सं०	भूखण्ड क्षेत्रफल	प्रतिमाह देय (रु० में)
1	1000 वर्गमीटर तक	363.00
2	1001 वर्गमीटर से 2000 वर्गमीटर तक	726.00
3	2001 वर्गमीटर से 3000 वर्गमीटर तक	1089.00
4	3001 वर्गमीटर से 4000 वर्गमीटर तक	1452.00
5	4001 वर्गमीटर से 5000 वर्गमीटर तक	1815.00
6	5001 वर्गमीटर से 6000 वर्गमीटर तक	2178.00
7	6001 वर्गमीटर से 7000 वर्गमीटर तक	2541.00
8	7001 वर्गमीटर से 8000 वर्गमीटर तक	2904.00
9	8001 वर्गमीटर से 9000 वर्गमीटर तक	3267.00
10	9001 वर्गमीटर से 10000 वर्गमीटर तक	3630.00
11	10001 वर्ग मीटर से 5 एकड़ तक	6050.00
12	5 एकड़ स 15 एकड़ तक	12100.00
13	15 एकड़ से 25 एकड़ तक	18150.00
14	25 एकड़ से 50 एकड़ तक	24200.00
15	50 एकड़ से अधिक	30250.00

(ग) सामूहिक आवासीय योजनाओं/बिल्डर्स देय न्यूनतम अग्रिम देय जल मूल्य दरें :-

क्र०सं०	भूखण्ड क्षेत्रफल	प्रतिमाह देय (रु० में)
1	शून्य से 5000 वर्ग मीटर तक	10890.00
2	5001 से 7500 वर्ग मीटर तक	13504.00
3	7501 से 10000 वर्ग मीटर तक	19166.00
4	10001 से 15000 वर्ग मीटर तक	27225.00
5	15001 से 25000 वर्ग मीटर तक	43560.00
6	25001 वर्ग मी० से 10 एकड़ तक	70785.00
7	10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल होने पर प्रति एकड़ अथवा उसके भाग पर, प्रति एकड़ रु० 5,445.00 देय होगा।	76230.00

❖ इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी।

1. सामान्य शर्तें

- वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 माह अर्थात् 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक वार्षिक जल मूल्य जमा कराये जाने पर 5% की छूट देय होगी।
- वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भी वार्षिक जल मूल्य जमा न कराये जाने पर 31 मार्च के बाद देय राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर, जो छमाही चक्रवृद्धि होगी, देय होगी।
- बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम आहरित होना चाहिए तथा ग्रेटर नोएडा/नोएडा/दिल्ली पर देय होना चाहिए।

भवदीय

(आर0के देव)

महाप्रबन्धक (अर्बन सर्विस)

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव को, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एच0/एम0/वाई0) महोदय को सूचनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त/नियोजन/परियोजना)।
4. उप महाप्रबन्धक (परियोजना/सम्पत्ति/उद्योग)।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक (अर्बन सर्विस/परियोजना/उद्योग/सम्पत्ति/नियोजन/सिस्टम)।
6. शाखा प्रबन्धक (केनरा बैंक/कारपोरेशन बैंक/इण्डियन बैंक/पंजाब नैशनल बैंक/ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स) को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार जल शुल्क जमा करने के चालान में अंकित कराने का कष्ट करें।


24/3/15

महाप्रबन्धक (अर्बन सर्विस)